

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (891)/2019/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:-ई32/स्वा./स्वा.निरी./ (891)/2017/ 343 दिनांक. 28.08.2017 के द्वारा श्री गोपाल कृष्ण शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक, बीकानेर को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक: 31.08.2017 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (891)/2019/ 192

दिनांक:- 12/3/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 29.01. 2019 के सन्दर्भ में।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर।